



उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal



Office – Kaliasot Dam, Kolar Road, Bhopal - 462016 Tele: (0755) 2492433, 2492460
E-mail: iehebhopal@mp.gov.in, iehe.iqac2020@gmail.com, Website: <https://www.iehe.ac.in>

Minutes of Academic council

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

अकादमिक परिषद्

बैठक क्रमांक-33 (दिनांक : 02-09-2022)

स्थान: उ.शि.उ.सं. भोपाल (हॉल नं. 2)

अपरान्ह: 3:00 बजे

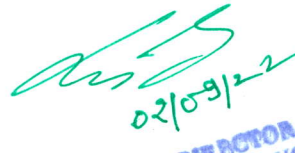
— कार्यवाही विवरण —

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्यापन कार्य हेतु नये प्रारंभ किये गये विषयों के अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 02-09-2022 को संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. शैलजा दुबे, सचिव, अकादमिक परिषद् ने बैठक का संचालन करते हुए अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया तथा नये मनोनीत सदस्यों का परिचय कराया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष संस्थान के प्रभारी संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों के साथ 1995 से उसकी विकास यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision: Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत संस्थान में प्रथम सेमेस्टर यूजी. के पाठ्यक्रम को अध्यादेश-14 'ए' के अंतर्गत सफलतापूर्वक संचालित किया गया एवं परीक्षा परिणाम सर्वप्रथम संस्थान द्वारा घोषित किये गये। वर्तमान अकादमिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए :

1. दिनांक 05-07-2022 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक-32 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। परिषद् ने बैठक क्रमांक-32 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
2. परीक्षा नियंत्रक डॉ. महीपाल सिंह यादव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में संस्थान में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ पुराने पैटर्न की भी अध्ययन व्यवस्था लागू है, जिस कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर संस्थान की अकादमिक परिषद् से पारित परीक्षा नियम 2005 एवं 2019 लागू हैं जिनकी कंडिका 11 (vii) के अनुसार "ऐसे विद्यार्थी जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न होने तक अपने सेमेस्टर I एवं II में संबंधित ए.टी.के.टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे, उन्हें सेमेस्टर V में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी"। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पुराने पैटर्न की अध्यापन व्यवस्था की कक्षाएं नहीं होंगी।


02-09-2022


02/09/22
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

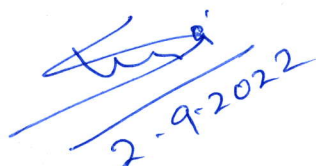
इस संबंध में अकादमिक परिषद ने इस प्रकरण को असाधारण मानते हुए पुराने पैटर्न के अंतर्गत अनुत्तीर्ण 13 विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. परीक्षा पंचम सेमेस्टर के साथ करवाने एवं पंचम/षष्ठम में प्रावधिक प्रवेश इस आशय के घोषणा पत्र/शपथ पत्र कि यदि विद्यार्थी ए.टी.के.टी. परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसके आगामी सेमेस्टर्स के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किये जावेंगे, के आधार पर प्रदाय करने की अनुशंसा की गई।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक 1-8/2017 (Swayam board) दिनांक 28-06-2022 के अनुक्रम में अयुक्त, उच्च शिक्षा के परिपत्र क्रमांक 930/132/आउशि/शा-5 'अ'/2022, दिनांक 12-07-2022 तथा उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु जारी अध्यादेश 14 'ए' में उल्लेखित 'स्वयं' पोर्टल के माध्यम से मूक कोर्स तथा क्रेडिट ट्रांसफर हेतु कंडिका 14 तथा 17 के प्रावधानों को लागू किये जाने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद द्वारा सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया। संस्थान द्वारा वर्तमान सेमेस्टर में क्रेडिट ट्रांसफर हेतु मान्य और अधिसूचित किये गये चार पाठ्यक्रमों का भी अनुमोदन किया गया।

पारित प्रस्तावनुसार एन.ई.पी. अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर के आरंभ होने के समय संबंधित विभागाध्यक्ष 'स्वयं' पोर्टल पर तत्समय पंजीयन हेतु उपलब्ध मूक कोर्स तथा संस्थान में पढ़ाये जा रहे जेनेरिक इलैक्टिव, एस.ई.सी., व्ही.सी. तथा ए.ई.सी.सी. के समतुल्य पाठ्यक्रमों को क्रेडिट मापदंड अनुसार चिन्हित कर संस्थान की अकादमिक समिति के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिसूचित करेंगे। क्रेडिट ट्रांसफर हेतु समतुल्य मान्य क्रेडिट भी इसमें दर्शाना होगा। इच्छुक विद्यार्थी द्वारा अधिसूचित मूक कोर्स में पंजीयन कर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा तथा ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा प्रकोष्ठ को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। विद्यार्थी द्वारा इसकी लिखित सूचना विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा प्रकोष्ठ को देना होगी। संस्थान द्वारा अध्ययन मंडल से अनुमोदित समतुल्य पाठ्यक्रमों एवं मान्य समतुल्य क्रेडिट को ही अधिसूचित किया जावेगा।

'स्वयं' पोर्टल पर विद्यार्थियों का पंजीयन तथा अधिकतम 40 प्रतिशत कोर्स/क्रेडिट ट्रांसफर पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों से कराया जा सकेगा।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत संस्थान में नये प्रारंभ किये गये नवीन विषय/पाठ्यक्रम बी.बी.ए., बी.पी.ई.एस., क्लिनिकल न्यूट्रीशन एवं डायटेटिक्स एम.ए. (हिन्दी), एम.ए. (मनोविज्ञान) और एम.ए. (समाजशास्त्र) के सेमेस्टर-I और II के विभिन्न विषयों के मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अध्यादेश 14-ए के तहत बिन्दु क्र. 12.4 के अंतर्गत अध्ययन मंडलो के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।


2-9-2022

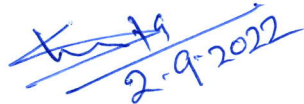

02.09.22
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

5. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों के अंतर्गत संस्थान में अगले सत्र से विद्यार्थियों की मांग के अनुसार :

- संस्कृत विषय स्नातक स्तर पर प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया।
- 'रामचरित्र मानस का दार्शनिक चिन्तन' तथा 'गीता प्रबंधन' को जेनेरिक विषय के रूप में सत्र 2023-24 से प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा।
- बायोटेक विभाग द्वारा वनस्पति एवं प्राणीशास्त्र को स्नातक स्तर पर प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया।
- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि डॉ. नीरज गौर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि संस्थान के शोध केन्द्रों की शुल्क संरचना विश्वविद्यालयों के अनुरूप करें जिससे अधिक संख्या में शोध छात्र संस्थान से लाभान्वित हो सकें।
- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि डॉ. विवेक शर्मा ने सुझाव दिया कि विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए कम छात्र संख्या के साथ भी विभिन्न पाठ्यक्रम चलाया जाना उचित होगा। इससे विद्यार्थियों को एन.ई.पी.-2020 के प्रावधानों को आत्मसात करने में सहायता होगी।
- डॉ. नीरज गौर द्वारा सुझाव दिया गया कि सर्टिफिकेट कोर्स संस्थान स्तर पर प्रारंभ किये जा सकते हैं किन्तु डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि डॉ. रुचि घोष एवं अकादमिक परिषद के समस्त सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

बैठक के अंत में डॉ. अंजलि आचार्य द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।


2-9-2022

(डॉ. शैलजा दुबे)
सदस्य सचिव, अकादमिक परिषद
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल


6-9-2022

(डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
प्रभारी संचालक
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान

अकादमिक परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक-32

दिनांक : 05-07-2022

स्थान: उ.शि.उ.सं. भोपाल (हॉल नं. 2)

अपरान्ह: 1:00 बजे

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 05-07-2022 को संचालक, डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. शैलजा दुबे, सचिव, अकादमिक परिषद् ने बैठक का संचालन करते हुए अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया तथा सदस्यों का परिचय कराया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, संस्थान के प्रभारी संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision: Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर यू.जी. को सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया। परीक्षा परिणाम सर्वप्रथम संस्थान द्वारा घोषित किये गये। वर्तमान अकादमिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। संस्थान की भूतपूर्व छात्रा लिपि नगाइच का चयन यू.पी.एस.सी. में 148 रैंक के साथ हुआ इसकी जानकारी सदन को दी गई। बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए :

1. दिनांक 31/11/2021 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक-31 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। परिषद् ने बैठक क्रमांक-31 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
2. सत्र 2022-2023 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेंडर को सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया। डॉ. अनुज हुण्डैत द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि अकादमिक कैलेंडर में परीक्षा के 44 दिवसों को यदि कम किया जाए तो आई.क्यू.ए.सी. के लिए यह लाभदायक होगा।
3. शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न विभागों में पूर्व से संचालित स्नातक V एवं VI सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर I, II, III & IV सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को, जिसकी अनुशंसा अध्ययन मंडलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत स्नातक I, II, III & IV सेमेस्टर में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अध्यादेश 14-ए के तहत बिन्दु क्र. 12.4 के अंतर्गत अध्ययन मंडलों के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही परिषद् द्वारा संस्थान के विद्यार्थियों को दिए जा रहे विभिन्न विषय संयोजनों का भी अनुमोदन किया गया।
5. अकादमिक समिति द्वारा यह जानकारी दी गयी कि अध्यादेश 14-ए के प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा प्रत्येक विभाग द्वारा SEC/व्यवसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनके आंतरिक मूल्यांकन का प्रारूप उनके अध्ययन मंडलों द्वारा पारित किया गया है एवं जो तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें क्षेत्रीय भ्रमण को भी शामिल किया गया है। संस्थान द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। संस्थान द्वारा निर्मित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (संलग्नक-1) एवं इस प्रक्रिया को अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

6. संस्थान स्तर पर पूर्व में संचालित विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2022-23 में भी संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् द्वारा मान्य किया गया।
7. संस्थान की सत्र 2022-23 की विवरणिका (Prospectus) का अनुमोदन अकादमिक परिषद् द्वारा किया गया।
8. आगामी सत्र 2023-24 हेतु अध्ययन मंडलों का गठन एवं नये सदस्यों का नामांकन किया जाना है इस हेतु अकादमिक परिषद् के सदस्यों ने यह अधिकार संचालक महोदय को दिया तथा डॉ. उमेश सिंह द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सदस्यों को नामांकित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण पालन किया जाए तथा BOS में Industry एवं Research से संबंधित सदस्यों को भी नामांकित किया जाए। इतिहास विषय में पाठ्यक्रम बनाते समय नवाचार के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाए। समस्त परिवर्तन पर अध्ययन मण्डल द्वारा गहन विचार विमर्श द्वारा किया जाना आवश्यक है जिससे संस्थान के लक्ष्य पूर्ण हो सके। डॉ. शैलजा दुबे ने इस प्रस्ताव के अनुसार नए अध्ययन मण्डल के गठन का आश्वासन दिया।
9. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों के अंतर्गत गणित विषय के पाठ्यक्रम में प्रश्नपत्रों की पुनर्संरचना अध्यादेश के अनुरूप शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात की जानी अनुशंसित की गई। डॉ. एन.आर. दास द्वारा छात्रहित में नवीन विषय बी.बी.ए. में सीटों का पुनर्निर्धारण करने का सुझाव दिया गया। प्रवेश प्रभारी द्वारा जानकारी दी गयी कि इस वर्ष बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 400 से अधिक आवेदन लंबित हैं। उनके द्वारा इस पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया जिसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। राजनीति विज्ञान में आगामी सत्र में सीटों के पुनर्निर्धारण पर चर्चा की गई। संस्थान द्वारा एन.ई.पी 2020 के अनुसार निर्मित समय सारणी का अनुमोदन परिषद् द्वारा किया गया।

बैठक के अंत में डॉ. अंजलि आचार्य द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।



(डॉ. शैलजा दुबे)
सदस्य सचिव, अकादमिक परिषद्
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल



(डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
प्रभारी संचालक
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

अकादमिक परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक - 31

दिनांक : 30-11-2021

स्थान : उ.शि.उ.सं. भोपाल (हाल नं. 2)

पूर्वान्ह 11.30 बजे

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 30-11-2021 को संचालक, डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. शैलजा दुबे, सचिव, अकादमिक परिषद् ने अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया तथा नए सदस्यों का परिचय कराया। बैठक का संचालन डॉ. शैलजा दुबे ने किया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, संस्थान के प्रभारी संचालक डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision : Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है।

बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए :

1. दिनांक 17-05-2019 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक 30 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। परिषद् ने बैठक क्रमांक 30 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
2. सत्र 2021-22 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेंडर को सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया।
3. शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न विभागों में पूर्व से संचालित स्नातक II, III, IV, V & VI सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर I, II, III, & IV सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को, जिनकी अनुशंसा अध्ययन मंडलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक I और II सेमेस्टर में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अध्यादेश 14-ए के तहत बिन्दु क्र. 12.4 के अंतर्गत अध्ययन मंडलों के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही परिषद् द्वारा संस्थान में विद्यार्थियों को दिए जा रहे विभिन्न विषय संयोजनों को भी अनुमोदन दिया गया।
5. विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2021-22 में संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् द्वारा मान्य किया गया जिसमें डिप्लोमा के 12, सर्टिफिकेट के 08, ट्रेनिंग प्रोग्राम के 06 और विशेष पाठ्यक्रम 02 शामिल हैं।

चर्चा में डॉ. शैलजा दुबे ने परिषद् को सूचित किया कि प्रथम वर्ष में भूगोल विषय को कला एवं विज्ञान संकाय में शासन द्वारा शामिल किया गया है।

6. आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित 02 पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया :
 - (i) Certificate Course in Retail Marketing Management,
 - (ii) Certificate Course in Banking Finance Services and Insurance.

चर्चा में अकादमिक परिषद् के माननीय सदस्य श्री दीपक शर्मा ने सुझाव दिया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रोजगार दें।

इसी संदर्भ में प्रभारी संचालक महोदय ने कहा कि अगले सत्र से इस संबंध में प्रयास किए जायेंगे तथा श्री दीपक शर्मा जी से निवेदन किया कि वे भी नये रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के बारे में मार्गदर्शन दें।

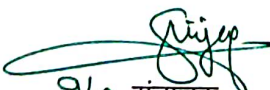
7. संस्थान में निम्नलिखित विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव विभिन्न विभागों द्वारा रखा गया जिसे परिषद् ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया :

- (i) क्रीड़ा विभाग द्वारा तीन वर्षीय Bachelor of Physical Education and Sports (BPES), जिसमें 40 सीटें होंगी।
- (ii) वाणिज्य विभाग द्वारा Bachelor of Business Administration (BBA), जिसमें 40 सीटें होंगी।
- (iii) फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल विभाग द्वारा स्नातक स्तर पर (i) Food Technology (ii) Clinical Nutrition & Dietetics, प्रत्येक में 40 सीटें होंगी।
- (iv) मनोविज्ञान विभाग द्वारा बी.एस.सी. मनोविज्ञान में प्रारंभ करना।
- (v) हिन्दी विभाग द्वारा हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसमें 20 सीटें होंगी।
- (vi) समाजशास्त्र विभाग द्वारा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसमें 20 सीटें होंगी।
- (vii) मनोविज्ञान विभाग द्वारा मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसमें 20 सीटें होंगी।

चर्चा में भाग लेते हुए परिषद् के माननीय सदस्यगणों – डॉ. उमेश सिंह एवं अन्य ने सुझाव दिया कि स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम प्रथम तीन वर्षों तक न्यूनतम 05 विद्यार्थियों से चलाना उचित होगा उसके बाद न्यूनतम 10 विद्यार्थियों से चलाना उचित होगा जिसे सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

8. अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् के सचिव डॉ. शैलजा दुबे ने बताया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम तैयार करवाये गए हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है उसमें प्रबंधन तथा फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल विषयों का उल्लेख वैकल्पिक विषय के रूप में किया गया है, जबकि संस्थान में ये दोनों विषय क्रमशः विगत 10 एवं 20 वर्षों से सहायक विषय के रूप में पढ़ाये जाते रहे हैं तथा इन विषयों में इस वर्ष भी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है, अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए इन विषयों को Minor विषय के रूप में संचालित करने की अनुशंसा अकादमिक परिषद् ने की। इस प्रकार अकादमिक परिषद् द्वारा अर्थशास्त्र को मुख्य विषय रखते हुए प्रबंधन को गौण विषय के रूप में, फैशन डिजाइनिंग को मुख्य विषय रखते हुए प्रबंधन को गौण विषय के रूप में तथा रसायनशास्त्र को मुख्य विषय रखते हुए फूड साइंस एण्ड क्वालिटी कंट्रोल को गौण विषय के रूप में रखते हुए छात्रहित में विषय संयोजनों को चलाने का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में डॉ. अंजली आचार्य द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।


9/c संचालक
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL, M.P.


30-11-2021
सदस्य-सचिव
अकादमिक परिषद्
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

अकादमिक परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक - 30

दिनांक : 17-05-2019

स्थान : उ.शि.उ.सं. भोपाल (हाल नं. 2)

पूर्वान्ह 11.30 बजे

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्ययन मंडलों द्वारा निश्चित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 17-05-2019 को संचालक, डॉ. गीता सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. सुचित्रा बैनर्जी, सचिव, अकादमिक परिषद् ने अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय द्वारा नए सदस्यों का परिचय कराया गया और संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। बैठक का संचालन डॉ. शैलजा दुबे ने किया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, संस्थान की संचालक डॉ. गीता सक्सेना ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision : Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि अकादमिक दृष्टि से संस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन नए पाठ्यक्रम 2018-2019 से प्रारंभ किए जा चुके हैं। नैक की अनुशंसा अनुसार दो विषयों - अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में शोध केन्द्रों की स्थापना की गई है। अध्यक्ष ने संस्थान की अधोसंरचना पर चर्चा करते हुए परिषद् को अवगत कराया कि परिसर में 100 सीटर बालक छात्रावास एवं एक केंद्रीय कम्प्यूटर प्रयोगशाला प्रारंभ हो गई है।

बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए :-

1. दिनांक 12 मई 2018 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक 29 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। परिषद् ने बैठक क्रमांक 29 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
2. सत्र 2019-20 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेंडर का सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
3. शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु विभिन्न विभागों में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को जिनकी अनुशंसा अध्ययन मंडलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। सत्र 2018-19 में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2019-20 में भी संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् द्वारा मान्य किया गया।
4. व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ समन्वयक डा मनीषा शर्मा ने बताया कि पूर्व सत्र में प्रस्तावित 45 एवं 1 पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की मांग के आधार पर संचालित किया गया कुल 46 इसमें से 31 पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया जिसमें परिषद् की बैठक दिनांक तक लगभग 600 विद्यार्थी प्रयोजित हो चुके हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम शुल्क जमा किया है।

आगामी सत्र से निम्नलिखित नवीन पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए एवं कुछ पाठ्यक्रमों के स्वरूप में संशोधन किया गया है। पूर्व में निम्नलिखित कोर्स डिप्लोमा कोर्स थे जो अब कम अवधि के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की श्रेणी में रखा गया है :

- (i) Certificate Course in Retail Management (CRM)
- (ii) Certificate Course in Tourism & Hospitality Management (CTHM)
- (iii) Certificate Course in Media Aesthetics (CMA)

निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है :

- (i) Diploma in Bamboo Entrepreneurship Development (DBED)
- (ii) Certificate Course in Creative Arts (CCAA) - Jorli/Mandna/Madhubani/Others
- (iii) Certificate Course in Chem-Sketch & Chem- Draw (CSCD)

- (iv) Certificate Course in Career Counseling (CaCo)
- (v) Certificate Course in Physical Fitness & Sports (CPFS)
- (vi) Certificate Course in GST (GST)
- (vii) Certificate Course in C++ & Oracle (CCO)
- (viii) Certificate Course in Project Formulation, Monitoring & Evaluation (CPME)
- (ix) Certificate Course in Start Up's Management (CSUM)
- (x) 30 Hours Training Programme in Bamboo Arts & Crafts (TPBC)
- (xi) 30 Hours Training Programme in Environmental Audit (TPEA)

डॉ. शर्मा ने बताया कि नैनो क्षेत्र में उद्यमिता विकास संस्थान को भविष्य में उद्यमिता केंद्र ग्रीन गोल्ड, ग्रीन इकोनॉमी से सम्बद्ध करेगा और संस्थान में बालक छात्रावास में इसके आरंभ से हर साल युवा उद्यमी तैयार होंगे।

चर्चा में श्री दीपक शर्मा ने समय की मांग को देखते हुए तीन नए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए :-

- (i) Certificate Course in Chinese Language (CCL)
- (ii) Certificate Course in Cloud Computing (CCLC)
- (iii) Certificate Course in Digital Marketing (CDM)

परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रकोष्ठ समन्वयक डॉ. मनीषा शर्मा एवं परिषद् के सदस्य श्री दीपक शर्मा के प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

डॉ. मनीषा शर्मा ने बताया कि सत्र के मध्य में विद्यार्थी (न्यूनतम संख्या -15) की मांग पर लघु अवधि पाठ्यक्रम संचालित किये जा सकते हैं। छात्रहित में सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

अकादमिक परिषद् के माननीय सदस्य डॉ. विनय कुमार श्रीवास्तव (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) ने बैठक क्रमांक 29 के बिंदु 7 और 10 पर उल्लेखित नए पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी चाही। इसके संदर्भ में संचालक महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा आदेशित किया गया है कि बिना विभाग की अनुमति के नए कोर्स प्रारंभ नहीं किए जाएंगे। इसी तारतम्य में फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल में बी.एस.सी. ऑनर्स कोर्स प्रारंभ नहीं किया गया तथा फॉरेंसिक साइंस में बी.एस.सी. ऑनर्स कोर्स संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

5. अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्व बैंक समर्थित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 से प्रारंभ किए गए हैं :-

- (i) वाणिज्य विभाग द्वारा बी.कॉम. ऑनर्स अकाउंट एंड बी.कॉम. ऑनर्स मैनेजमेंट में सहायक विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन।
- (ii) वाणिज्य विभाग द्वारा प्रवर्तित बी.कॉम. ऑनर्स अकाउंट एंड बी.कॉम. ऑनर्स मैनेजमेंट में सहायक विषय टेक्सेशन।
- (iii) वाणिज्य विभाग द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एवं एनालिसिस- सत्र 2018-19 में प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश शून्य रहा। अतः इस पाठ्यक्रम को बंद किए जाने का प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के बी.ओ.एस. द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसे परिषद् ने मान्य किया।

6. विभिन्न विषयों हेतु नवीन अध्ययन मंडलों के गठन हेतु अकादमिक परिषद् ने सर्वसम्मति से संचालक को अधिकृत किया।

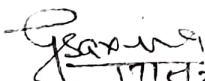
7. परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनुज हुण्डैट द्वारा परीक्षा से संबंधित संस्थान के परीक्षा नियमों को अद्यतन किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

संस्थान के परीक्षा नियम 1 जुलाई, 2005 से क्रियान्वित है। विगत वर्षों में आयोजित अकादमिक परिषद् की बैठकों में इसमें आंशिक संशोधन किए गए हैं (जैसे एटीकेटी परीक्षा में सीरीई के अंकों का विकल्प, उपस्थिति के अंकों को 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के स्लेव में परिवर्तित करना, इत्यादि) अतः

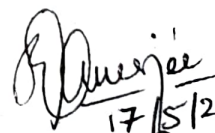
परीक्षा नियमों को अद्यतन करते हुए 1 जुलाई, 2019 से प्रारंभ होने वाले सत्र एवं आगे के सत्रों के लिए परीक्षा नियमों में निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं :

- उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के परीक्षा नियम अब 'परीक्षा नियम-2005' के स्थान पर 'परीक्षा नियम-2019' कहलाएंगे।
 - पृष्ठ-1 पैरा-1 में यूजीसी से मिली स्वायत्ता का उल्लेख किया जाना है।
 - परीक्षा संबंधी योजना (Scheme of Examination) अंतर्गत नियम 11 (vi) में ATKT (Sem-I & II) के विद्यार्थियों को पांचवे सेमेस्टर के पूर्व Sem-III एवं Sem IV के साथ ATKT परीक्षा को उत्तीर्ण करने बावत् दो-दो मौके दिए जाएंगे। अतः निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित हैं। नियम अब निम्नानुसार पढ़ा जावेगा :-
ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सेमेस्टर-I अथवा/सेमेस्टर-II की परीक्षा में एटीकेटी श्रेणी में रखा गया है वे इन एटीकेटी प्रश्नपत्रों की परीक्षा दो प्रयासों में अपनी सेमेस्टर-III अथवा/और सेमेस्टर-IV की नियमित परीक्षा के साथ देंगे। जिन विद्यार्थियों के सेमेस्टर-III अथवा/और सेमेस्टर-IV की परीक्षा में एटीकेटी श्रेणी में रखा गया है वे इन प्रश्नपत्रों की परीक्षा क्रमशः अपनी सेमेस्टर-V एवं सेमेस्टर-VI की नियमित परीक्षा के साथ देंगे।
 - परीक्षा नियम की कंडिका 11 (viii) में 'ATKT प्रश्नपत्र के सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक को' विलोपित करने का उल्लेख किया जाना होगा।
 - मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1868/198/सीसी/17/38, भोपाल दिनांक 09-10-2017 द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में क्रमशः 5 व 3 वर्ष की अवधि की बाध्यता समाप्त की है। पत्रानुसार स्नातक स्तर पर 5 वर्ष की अवधि को कुलपति की अनुमति से 06 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 03 वर्ष की अवधि को 04 वर्ष करते हुए इसमें कुलपति महोदय की अनुमति से 01 वर्ष की और वृद्धि की है।
 - संस्थान के परीक्षा नियमों में भी उपरोक्तानुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसका उल्लेख परीक्षा नियम की कण्डिका 11 (ix) एवं (x) में किया जा रहा है।
 - संस्थान के परीक्षा नियम की कंडिका 22 में परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग करने पर (UFM) आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं, परंतु संस्थान के UFM नियम न होने के कारण बरकतउल्ला वि.वि. के UFM नियम लगाए जाते रहे हैं। अतः परीक्षा समिति ने संस्थान के स्वयं के परीक्षा नियम प्रस्तावित किए हैं। अतः कंडिका 22 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है एवं परिशिष्ट-2 में UFM Guidelines तैयार कर संलग्न की गई है।
 - स्नातकोत्तर स्तर पर CCE के 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है इस बावत् CCE के नियम 4 (ब) में स्पष्ट तालिका बनाकर प्रावधान किया जा रहा है।
 - CCE के नियम 5 (घ) कक्षाओं में उपस्थिति के अंक प्रदाय करने की व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाना होगा।
8. परिषद् के सम्माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से संस्थान के राज्य स्तरीय स्वरूप और संस्थान की उत्कृष्ट अध्ययन व्यापन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तीन वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम को अधिकतम पाँच वर्ष में ही तथा दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अधिकतम तीन वर्ष ही में पूर्ण करने पर 3 वर्ष अभिमत दिया। अतः उपर्युक्त पैरा "क" को अमान्य करके शेष समस्त प्रस्ताव मान्य किए गए (संशोधित परीक्षा नियम 2019 संलग्न हैं)।

बैठक के अंत में डॉ. अनिता शिंदे द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।


संचालक
17/5/2019

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल


17/5/2019
सदस्य-सचिव
अकादमिक परिषद्

अकादमिक परिषद की बैठक

बैठक क्रमांक 29

दिनांक 12.05.2018

कार्यवाही विवरण

स्थान : उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (हॉल क्रमांक -2), समय-12:00 अपरान्ह

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्ययन मण्डलों द्वारा निश्चित किये गये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य सम्बन्धित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 12.05.2018 को संचालक डॉ एम.एल.नाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ गीता सक्सेना, सचिव अकादमिक परिषद् ने अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। बैठक का संचालन डॉ शैलजा दुबे ने किया।

बैठक के प्रारम्भ में बैठक के अध्यक्ष, संस्थान के संचालक डॉ एम0एल0नाथ ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision: Accelerating Excellence In Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है, जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि अकादमिक दृष्टि से संस्थान को सृदृढ़ बनाने के लिए चार नये पाठ्यक्रम 2018-2019 से प्रारम्भ किये जा रहे हैं। नैक की अनुशंसा अनुसार तीन विषयों- अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और बायोटेक्नॉलाजी में शोध केन्द्र की स्थापना के लिए संस्थान स्तर पर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर दी गई हैं। नैक अनुशंसा अनुसार ही संस्थान में अधिकाधिक विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापन की आवश्यकता प्रतिपादित की। अध्यक्ष ने संस्थान की अधोसंरचना पर चर्चा करते हुए परिषद् को अवगत कराया कि परिसर में 100 सीटर बालक छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार एक केन्द्रीय कम्प्यूटर प्रयोगशाला पूर्णतः तैयार है जो जुलाई से आरम्भ हो जायेगी।

बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये:-

- 1 दिनांक 12 मई 2017 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक 28 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। परिषद् ने बैठक क्रमांक 28 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
- 2 सत्र 2018-19 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेण्डर का सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
- 3 शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु विभिन्न विभागों में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को, जिनकी अनुशंसा अध्ययन मण्डलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।
- 4 सत्र 2017-18 में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2018-19 में भी संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् द्वारा मान्य किया गया।

सत्र 2018-19 से निम्नलिखित 08 नये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया :

- (i) Diploma in Financial Journalism (DFJ)
- (ii) Diploma in Psephology (Dpse)
- (iii) Diploma in Integrated Rural Development (DIRD)
- (iv) Diploma in Fabric Ornamentation (DFO)
- (v) Diploma in Remote Sensing & GIS (DRSG)
- (vi) Certificate Course in Spoken English (CSE)
- (vii) Thirty Hours Training Programme in (TPPHP)
- (viii) Joint Admission Test for M.Sc. (JAM)

डॉ. ए.के. भट्टाचार्य ने परामर्श दिया कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन SOP (Standard Operating Procedure) के अनुसार होना चाहियें। साथ ही संस्थान National/International Priorities के अनुसार नये पाठ्यक्रम आरम्भ करें। संस्थान में Forest से सम्बन्धित रोजगारोन्मुखी वोकेशनल कोर्स भी प्रारम्भ करें। इसके लिए लघु वनोपज, ईको टूरिज्म बोर्ड, बेम्बू मैनेजमेन्ट आदि से सम्पर्क कर पाठ्यक्रम आरम्भ किये जा सकते हैं। संस्थान को डिप्लोमा इन सर्टिफिकेशन प्रारंभ करना चाहिये।

अकादमिक परिषद के उपर्युक्त सुझाव अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है।

- 5 बी.ए. भूगोल (आनर्स) के ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा बारहवीं में विज्ञान संकाय उत्तीर्ण कर प्रवेश पाते हैं उन्हें बी.ए. आनर्स के स्थान पर बी.एस-सी. आनर्स की उपाधि सत्र 2018-19 से प्रदाय की जायें। इसके लिए बी.एस-सी. प्रथम वर्ष भूगोल (आनर्स) के लिए इन छात्रों को रसायन, गणित या कम्प्यूटर साइन्स के सहायक विषय के रूप में लेना होगा।

डॉ. के.एन. त्रिपाठी ने अवगत कराया कि बी.ए. मनोविज्ञान आनर्स में भी बी.एस-सी. मनोविज्ञान (आनर्स) की डिग्री उन विद्यार्थियों को दी जा सकती है, जो कक्षा बारहवीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण कर प्रवेश लेते हैं। लेकिन बी.एस-सी. मनोविज्ञान (आनर्स) विषय के सहायक विषय सुनिश्चित न हो सकने के कारण इस विषय को आगामी अकादमिक परिषद् में रखे जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

- 6 फारेन्सिक साइन्स विषय को बी.एस-सी. रसायनशास्त्र (ऑनर्स) के सहायक विषय के रूप में सत्र 2018-19 से आरम्भ करने का प्रस्ताव अकादमिक परिषद द्वारा मान्य किया गया।
- 7 अकादमिक परिषद के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्व बैंक समर्थित योजना के अन्तर्गत निम्न चार पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 से आरम्भ किये जाने हैं :

- (i) रसायनशास्त्र विभाग द्वारा प्रवर्तित बी.एस-सी. फारेन्सिक साइन्स ऑनर्स।
- (ii) वाणिज्य विभाग द्वारा बी.कॉम ऑनर्स अकाउण्ट एव बी.कॉम आनर्स मैनेजमेन्ट में सहायक विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन।
- (iii) वाणिज्य विभाग द्वारा प्रवर्तित बी.कॉम ऑनर्स अकाउण्ट एवं बी.कॉम आनर्स मैनेजमेन्ट में सहायक विषय टेक्सेशन।
- (iv) वाणिज्य विभाग द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्राजेक्ट फाइनेंसिंग एण्ड एनालिसिस।

उक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए अकादमिक परिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। डॉ. भट्टाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों के पास पाठ्यक्रम चयन के लिए च्वाइज होना चाहिए साथ ही हमें अन्य विषय जैसे— Environmental Ethics & Values आदि पर भी कोर्स आरम्भ करना चाहिए। सभी सदस्यों ने उनके विचारों से सहमति व्यक्त की।

- 8 एम.एस-सी. भौतिकशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप का प्रस्ताव भौतिकशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ. शिरीष जोशी द्वारा रखा गया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
- 9 सत्र 2019-20 से भूगोल विषय में एम.ए./एम.एस-सी. एवं मनोविज्ञान विषय में एम.ए./एम. एस-सी. प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित किया गया, जिसे परिषद द्वारा मान्य किया गया।
- 10 सत्र 2019-20 से फूड साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी में बी.एस-सी. आनर्स कोर्स आरम्भ करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। डॉ. भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से सम्पर्क कर पाठ्यक्रम की सम्भावनाओं पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करें।
- 11 अकादमिक परिषद के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान प्रदेश का एक अग्रणी संस्थान है। प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता से अवगत कराने के लिए संस्थान को एक

नजीर के रूप में पेश किया जाता है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि नैक के तृतीय चरण के दौरान नैक पियर टीम द्वारा संस्थान में CBCS प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया था जिससे संस्थान की अकादमिक गुणवत्ता अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हो। अतः अकादमिक परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल में CBCS प्रणाली लागू करने के लिए संस्थान की कार्यपरिषद और सामान्य सभा से निवेदन किया जाये।

बैठक के अन्त में डॉ सुचित्रा बेनर्जी द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात बैठक समाप्त हुई।

Co-Intersigned



DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016.


for सचिव
अकादमिक परिषद

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान
भोपाल



उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal

NAAC re-accredited 'A' Grade Institute



ENCL-①

Office - Kaliasot Dam, Kolar Road, Bhopal-462016 Tele: (0755) 2492433, 2492460

E-mail: iehebpl@bsnl-in Website: www.iehe.ac.in

क्रमांक 607/स्था./2016-17

भोपाल, दिनांक 19.5.17

अकादमिक परिषद की बैठक

बैठक क्रमांक - 28

दिनांक 12/05/2017

स्थान: सेमीनार हाल-2

समय: पूर्वान्ह 11:30

कार्यवाही विवरण

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य हेतु विनिश्चित किये गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य सम्बन्धित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 12/05/2017 को आयोजित की गई। संस्थान के संचालक डॉ. एम.एल. नाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सर्वप्रथम डॉ. गीता सक्सेना संयोजक अकादमिक समिति अभ्यागत सम्मानित अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया।

बैठक के प्रारम्भ में बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉ. एम.एल. नाथ ने पुनः सभी अतिथियों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने नेक मूल्यांकन में प्राप्त 'ए' ग्रेड पर प्रकाश डालते हुए प्रो. एस.एस. श्रीवास्तव, छात्र विक्रमादित्य गानकर, युवराज जैन आदि के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही भविष्य की कार्य योजनाओं से भी अवगत कराया। छात्र - छात्रावास, सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा निगरानी, परिसर सौन्दर्य आदि पर भी जानकारी दी गयी। तदुपरान्त बैठक की पूर्व प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न हुई -

1. दिनांक 17 मई, 2016 को सम्पन्न हुई अकादमिक परिषद की बैठक क्रमांक 27 की कार्यवाही का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक क्रमांक 27 दिनांक 17/05/16 की डॉ. अनुज हुण्डैत द्वारा प्रस्तावित CBCS के शासन के पास विचाराधीन होने के कारण क्रियान्वित न हो पाने की जानकारी दी गई। इसी प्रकार गत बैठक में प्रस्तावित B.P.Et पाठ्यक्रम के बारे में डॉ. गीता सक्सेना ने अवगत कराया कि आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम प्रारंभ करना संगत होगा।

2. शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। डॉ. आलोक रस्तोगी ने प्रो. एस.पी. सान्याल द्वारा भौतिकी के पाठ्यक्रम में जिज्ञासाएं प्रस्तुत किए जाने पर संतोषजनक समाधान दिए। डॉ. के.बी. पण्डा, डॉ. सान्याल ने वोकेशनल पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण की आवश्यकता रेखांकित की तथा कैरियर काउंसिलिंग कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉ. गीता सक्सेना ने इस संदर्भ में विचारार्थ आश्वासन दी। डॉ. एम.एल. नाथ ने पुनरीक्षण में संभावित परिवर्तनों को तथ्य और तर्क के आधार पर स्वीकार करने का सुझाव दिया।
3. शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए वर्तमान में संचालित एवं नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने पर संयोजक डॉ. मनीषा शर्मा ने नए पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। डॉ. भट्टाचार्य ने सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने/प्रारंभ करने का सुझाव दिया। उन्होंने 'स्वच्छ भारत', 'मेक इन इंडिया', और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन की आवश्यकता बताई संस्थान संचालक डॉ. एम.एल.नाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की तैयारी कराने हेतु गठित प्रकोष्ठ की जानकारी दी।
4. शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए प्रस्तुत अकादमिक कैलेंडर में षष्ठ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम परिणाम 14 जून 2018 के स्थान पर 05 जून 2018 को घोषित किया जाना मान्य किया गया। साथ ही सूक्ष्म कैलेंडर जारी करने हेतु डॉ. अनुज हुण्डैत एवं डॉ. रामकृष्ण श्रीवास्तव को अधिकृत किया गया। प्रवेश प्रक्रिया और अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता के स्तरोन्नयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह संस्थान 'क्लस्टर योजना' का नोडल सेन्टर है। डॉ. पंकजा शुक्ला ने 'वनमेला' सी-पैड, आदि माध्यमों से 'जॉब ऑफर, एवं जॉब ट्रेनिंग की जानकारी दी। डॉ. रेणु जैन ने 'फैशन डिजाइन' कोर्स की उपलब्धियां बताई। उन्होंने 'गोकुलदास' प्रोवोक आदि प्रख्यात कंपनियों में शत-प्रतिशत प्लेसमेन्ट की जानकारी दी।
5. फैशन डिजायनिंग विषय को अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी साहित्य विषय के साथ सहायक विषय के रूप में स्वीकार किया गया।

फारेन्सिक साइन्स विषय को रसायन विषय के साथ सहायक विषय के रूप में गवर्निंग वाडी /आन्तरिक विभागीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुति हेतु निर्णय लिया गया।

अकादमिक परिषद् की ओर से डॉ. शैलजा दुबे ने बैठक के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर अध्यक्ष डॉ. एम.एल. नाथ एवं अन्य अतिथियों/ सदस्यों को धन्यवाद दिया।


(डॉ. गीता सक्सेना) 12/5/17
संचिव, अकादमिक परिषद्


(डॉ. एम.एल.नाथ) 12-5-17
संचालक,
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016